



कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

दूरभाष -0771-2236685

Website: ceochhattisgarh.nic.in, E-mail- ceoraipur.cg@nic.in

क्रमांक-15/04/EROs-AEROs/2022-24/155

रायपुर, दिनांक

04 MAR 2024

प्रति,

श्री रितेश सिंह,
अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड़,
नई-दिल्ली-110001.

विषय:-निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के आंशिक संशोधन संबंधी अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन उपरांत राजपत्र की प्रति प्रेषित करने बावत् ।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक-429/पूअ-1/छ.ग.-वि.स./2023, दिनांक 22/02/2024.

विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र निर्देश के पालन में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के आंशिक संशोधन संबंधी अधिसूचना का छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन उपरांत प्रकाशित राजपत्र की 03 प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर आयोग के सुलभ संदर्भ हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(पी.एस. ध्रुव)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
छत्तीसगढ़, रायपुर

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. सं. मिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी 2024 — फाल्गुन 8, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक-15/चार/ EROs-AEROs/2024/1568.— छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत कतिपय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023, दिनांक 24 मई, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुये आयोग द्वारा पुनः जारी अधिसूचना संख्या-429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023, दिनांक 20 फरवरी, 2024 का एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2024 - 1 फाल्गुन, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित तारीख 24 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी में दर्शित 9-लुण्ड्रा (अजजा), 31-बेलतरा एवं 40-बसना विधानसभा क्षेत्र के सामने स्तम्भ (2) में दर्शाई गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
9-लुण्ड्रा (अजजा)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लुण्ड्रा (धौरपुर)
31-बेलतरा	डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर
40-बसना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बसना

आदेश से,

हस्ता./—

(एस. बी. जोशी)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 20th February 2024 -1 Phalgun, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/ES-I/CG-LA/2023.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that following amendment in respect of appointment of Assistant Electoral Registration Officer shall be made in its Notification No. 429/ES-I/CG-LA/2023 dated 24th May, 2023.

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entries against Assembly Constituencies 9-Lundra (ST), 31-Beltara and 40-Basna the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. and Name of the Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
9-Lundra (ST)	Sub-Divisional Officer (Revenue), Lundra (Dhaurpur)
31-Beltara	Deputy Collector, Bilaspur
40-Basna	Sub-Divisional Officer (Revenue), Basna

By order,

Sd/-

(S. B. Joshi)
Principal Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी 2024 — फाल्गुन 8, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक-15/चार/EROs-AEROs/2024/1568.— छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत कतिपय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023, दिनांक 24 मई, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुये आयोग द्वारा पुनः जारी अधिसूचना संख्या-429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023, दिनांक 20 फरवरी, 2024 का एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2024 -1 फाल्गुन, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित तारीख 24 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी में दर्शित 9-लुण्ड्रा (अजजा), 31-बेलतरा एवं 40-बसना विधानसभा क्षेत्र के सामने स्तम्भ (2) में दर्शाई गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
9-लुण्ड्रा (अजजा)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लुण्ड्रा (धौरपुर)
31-बेलतरा	डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर
40-बसना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बसना

आदेश से,

हस्ता./-

(एस. बी. जोशी)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 20th February 2024 -1 Phalguna, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/ES-I/CG-LA/2023.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that following amendment in respect of appointment of Assistant Electoral Registration Officer shall be made in its Notification No. 429/ES-I/CG-LA/2023 dated 24th May, 2023.

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entries against Assembly Constituencies 9-Lundra (ST), 31-Beltara and 40-Basna the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. and Name of the Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1	2
9-Lundra (ST)	Sub-Divisional Officer (Revenue), Lundra (Dhaurpur)
31-Beltara	Deputy Collector, Bilaspur
40-Basna	Sub-Divisional Officer (Revenue), Basna

By order,

Sd/-

(S. B. Joshi)
Principal Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी 2024 — फाल्गुन 8, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक-15/चार/ EROs-AEROS/2024/1568.— छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत कतिपय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023, दिनांक 24 मई, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुये आयोग द्वारा पुनः जारी अधिसूचना संख्या-429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023, दिनांक 20 फरवरी, 2024 का एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2024 -1 फाल्गुन, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित तारीख 24 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी में दर्शित 9-लुण्ड्रा (अजजा), 31-बेलतरा एवं 40-बसना विधानसभा क्षेत्र के सामने स्तम्भ (2) में दर्शाई गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
9-लुण्ड्रा (अजजा)	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लुण्ड्रा (धौरपुर)
31-बेलतरा	डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर
40-बसना	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बसना

आदेश से,

हस्ता. /—

(एस. बी. जोशी)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 20th February 2024 -1 Phalguna, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/ES-I/CG-LA/2023.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that following amendment in respect of appointment of Assistant Electoral Registration Officer shall be made in its Notification No. 429/ES-I/CG-LA/2023 dated 24th May, 2023.

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entries against Assembly Constituencies 9-Lundra (ST), 31-Beltara and 40-Basna the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. and Name of the Assembly Constituency	Electoral Registration Officer
1.	2
9-Lundra (ST)	Sub-Divisional Officer (Revenue), Lundra (Dhaurpur)
31-Beltara	Deputy Collector, Bilaspur
40-Basna	Sub-Divisional Officer (Revenue), Basna

By order,

Sd/-

(S. B. Joshi)
Principal Secretary.

REPORT OF THE COMMISSION ON THE FUTURE OF MEDICAL EDUCATION

Presented to the American Medical Association, June 1964

By the Commission

The Commission on the Future of Medical Education was organized in 1961 by the American Medical Association to study the problems of medical education in the United States. It has since that time held numerous public hearings and has received many suggestions from medical educators, students, and the public. The Commission's report is based on its own studies and on the suggestions it has received.

The Commission believes that the future of medical education in the United States depends on the ability of the medical profession to meet the needs of the public. It believes that the medical profession must be able to provide the highest quality of medical care to all the people of the United States.

1

The Commission believes that the future of medical education in the United States depends on the ability of the medical profession to meet the needs of the public. It believes that the medical profession must be able to provide the highest quality of medical care to all the people of the United States. The Commission believes that the future of medical education in the United States depends on the ability of the medical profession to meet the needs of the public. It believes that the medical profession must be able to provide the highest quality of medical care to all the people of the United States.

Continued on page 101

Continued on page 101

Continued on page 101

Continued on page 101

Continued on page 101

Continued on page 101

Continued on page 101

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी 2024 — फाल्गुन 8, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक-15/चार/ EROs-AEROs/2024/1566.— छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत कतिपय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या - 429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023 (1), दिनांक 24 मई, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुये आयोग द्वारा पुनः जारी अधिसूचना संख्या-429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023 (1), दिनांक 20 फरवरी, 2024 का एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है ।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2024 - 1 फाल्गुन, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023 (1).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित तारीख 24 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्;

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी में दर्शित 16—रायगढ़, 18—खरसिया एवं 54—राजिम विधानसभा क्षेत्र के सामने स्तम्भ (2) में दर्शाई गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
16— रायगढ़	1. उपायुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़
	2. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़
	3. उप अभियंता, नगर पालिक निगम, रायगढ़
	4. तहसीलदार, पुसौर
	5. तहसीलदार, रायगढ़
	6. नायब तहसीलदार -01, रायगढ़
	7. तहसीलदार सरिया
18— खरसिया	1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खरसिया
	2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खरसिया
	3. मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, किरोड़ीमल नगर
	4. नायब तहसीलदार, पुसौर
	5. नायब तहसीलदार -01, रायगढ़
54—राजिम	1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राजिम
	2. तहसीलदार, छुश
	3. नायब तहसीलदार, गरियाबंद
	4. तहसीलदार, फिंगेश्वर

आदेश से,

हस्ता./—

(एस. बी. जोशी)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 20th February 2024 -1 Phalgun, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/ES-I/CG-LA/2023 (1).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that following amendment in respect of appointment of Assistant Electoral Registration Officer shall be made in its Notification No. 429/ES-I/CG-LA/2023(1) dated 24th May, 2023.

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entries against Assembly Constituencies 16-Raigarh, 18-Kharsiya and 54-Rajim the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. and Name of the Assembly Constituency	Assistant Electoral Registration Officer
1	2
16-Raigarh	1. Deputy Commissioner Municipal Corporation, Raigarh
	2. Assistant Public Relations Officer, Municipal Corporation, Raigarh
	3. Sub Engineer, Municipal Corporation, Raigarh
	4. Tehsildar, Pusaur
	5. Tehsildar, Raigarh
	6. Nayab Tehsildar-01, Raigarh
	7. Tehsildar/Nayab Tehsildar, Sariya
18-Kharsiya	1. Tehsildar/ Nayab Tehsildar, Kharsia
	2. Chief Municipal Officer, Kharsia
	3. Chief Nagar Panchayat Officer, Kirodimal Nagar
	4. Nayab Tehsildar, Pusaur
	5. Nayab Tehsildar-01, Raigarh
54-Rajim	1. Tehsildar/ Nayab Tehsildar, Rajim
	2. Tehsildar, Chhura
	3. Nayab Tehsildar, Gariyaband
	4. Tehsildar, Fingeshwar

By order,

Sd/-

(S. B. Joshi)

Principal Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी 2024 — फाल्गुन 8, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक-15/चार/ EROs-AEROs/2024/1566.— छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत कतिपय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या - 429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023 (1), दिनांक 24 मई, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुये आयोग द्वारा पुनः जारी अधिसूचना संख्या-429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023 (1), दिनांक 20 फरवरी, 2024 का एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है ।

हस्ता./—

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2024 - 1 फाल्गुन, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023 (1).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित तारीख 24 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्;

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी में दर्शित 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 54-राजिम विधानसभा क्षेत्र के सामने स्तम्भ (2) में दर्शाई गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
16- रायगढ़	1. उपायुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़
	2. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़
	3. उप अभियंता, नगर पालिक निगम, रायगढ़
	4. तहसीलदार, पुसौर
	5. तहसीलदार, रायगढ़
	6. नायब तहसीलदार -01, रायगढ़
	7. तहसीलदार सरिया
18- खरसिया	1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खरसिया
	2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खरसिया
	3. मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, किरोड़ीमल नगर
	4. नायब तहसीलदार, पुसौर
	5. नायब तहसीलदार -01, रायगढ़
54-राजिम	1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राजिम
	2. तहसीलदार, छुआ
	3. नायब तहसीलदार, गरियाबंद
	4. तहसीलदार, फिंगेश्वर

आदेश से,

हस्ता./—

(एस. बी. जोशी)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

New Delhi, Dated 20th February 2024 -1 Phalgun, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/ES-I/CG-LA/2023 (1).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that following amendment in respect of appointment of Assistant Electoral Registration Officer shall be made in its Notification No. 429/ES-I/CG-LA/2023(1) dated 24th May, 2023.

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entries against Assembly Constituencies 16-Raigarh, 18-Kharsiya and 54-Rajim the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. and Name of the Assembly Constituency 1	Assistant Electoral Registration Officer 2
16-Raigarh	1. Deputy Commissioner Municipal Corporation, Raigarh
	2. Assistant Public Relations Officer, Municipal Corporation, Raigarh
	3. Sub Engineer, Municipal Corporation, Raigarh
	4. Tehsildar, Pusaur
	5. Tehsildar, Raigarh
	6. Nayab Tehsildar-01, Raigarh
	7. Tehsildar/Nayab Tehsildar, Sariya
18-Kharsiya	1. Tehsildar/ Nayab Tehsildar, Kharsia
	2. Chief Municipal Officer, Kharsia
	3. Chief Nagar Panchayat Officer, Kirodimal Nagar
	4. Nayab Tehsildar, Pusaur
	5. Nayab Tehsildar-01, Raigarh
54-Rajim	1. Tehsildar/ Nayab Tehsildar, Rajim
	2. Tehsildar, Chhura
	3. Nayab Tehsildar, Gariyaband
	4. Tehsildar, Fingeshwar

By order,

Sd/-

(S. B. Joshi)
Principal Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 फरवरी 2024 — फाल्गुन 8, शक 1945

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2024

अधिसूचना

क्रमांक-15/चार/ EROs-AEROs/2024/1566.— छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत कतिपय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या - 429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023 (1), दिनांक 24 मई, 2023 में आंशिक संशोधन करते हुये आयोग द्वारा पुनः जारी अधिसूचना संख्या-429/पूर्व अनु.-1/छ.ग.-वि.स./2023 (1), दिनांक 20 फरवरी, 2024 का एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है ।

हस्ता./-

(रीना बाबासाहेब कंगाले)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 2024 -1 फाल्गुन, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023 (1).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित तारीख 24 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या 429/पूर्व अनु-1/छ.ग.-वि.स./2023(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात्;

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी में दर्शित 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 54-राजिम विधानसभा क्षेत्र के सामने स्तम्भ (2) में दर्शाई गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएगी।

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक व नाम	सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
1	2
16- रायगढ़	1. उपायुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़
	2. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़
	3. उप अभियंता, नगर पालिक निगम, रायगढ़
	4. तहसीलदार, पुसौर
	5. तहसीलदार, रायगढ़
	6. नायब तहसीलदार -01, रायगढ़
	7. तहसीलदार सरिया
18- खरसिया	1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, खरसिया
	2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खरसिया
	3. मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, किरोड़ीमल नगर
	4. नायब तहसीलदार, पुसौर
	5. नायब तहसीलदार -01, रायगढ़
54-राजिम	1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार, राजिम
	2. तहसीलदार, छुसा
	3. नायब तहसीलदार, गरियाबंद
	4. तहसीलदार, फिंगेश्वर

आदेश से,

हस्ता./-

(एस. बी. जोशी)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi -110001

New Delhi, Dated 20th February 2024 -1 Phalguna, 1945 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/ES-I/CG-LA/2023 (1).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that following amendment in respect of appointment of Assistant Electoral Registration Officer shall be made in its Notification No. 429/ES-I/CG-LA/2023(1) dated 24th May, 2023.

In column 2 of the Table appended to the said notification, for the existing entries against Assembly Constituencies 16-Raigarh, 18-Kharsiya and 54-Rajim the following entries shall be substituted:-

TABLE

No. and Name of the Assembly Constituency	Assistant Electoral Registration Officer
1	2
16-Raigarh	1. Deputy Commissioner Municipal Corporation, Raigarh
	2. Assistant Public Relations Officer, Municipal Corporation, Raigarh
	3. Sub Engineer, Municipal Corporation, Raigarh
	4. Tehsildar, Pusaur
	5. Tehsildar, Raigarh
	6. Nayab Tehsildar-01, Raigarh
	7. Tehsildar/Nayab Tehsildar, Sariya
18-Kharsiya	1. Tehsildar/ Nayab Tehsildar, Kharsia
	2. Chief Municipal Officer, Kharsia
	3. Chief Nagar Panchayat Officer, Kirodimal Nagar
	4. Nayab Tehsildar, Pusaur
	5. Nayab Tehsildar-01, Raigarh
54-Rajim	1. Tehsildar/ Nayab Tehsildar, Rajim
	2. Tehsildar, Chhura
	3. Nayab Tehsildar, Gariyaband
	4. Tehsildar, Fingeshwar

By order,

Sd/-

(S. B. Joshi)
Principal Secretary.